

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 25, 2016/माघ 5, 1937

No. 210]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 25, 2016/MAGHA 5, 1937

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2016

का.आ. 237(अ).— केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 3 के खंड (ख) के उप-खंड (iv) के अनुसरण में, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के पश्चात् निम्नलिखित युक्ति को मानवों के प्रयोग के लिए तुरंत प्रभाव में औषधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ;

“एबलेशन युक्ति”

[फा. सं. X-11035/275/2015-डी.एफ.क्यू.सी.]

कुंदन लाल शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2016

S. O. 237(E).—In pursuance of sub-clause (iv) of clause (b) of section 3 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, hereby specifies the following device intended for use in human beings as drug with immediate effect, namely:-

“Ablation device”

[F. NO. X -11035/275/2015-DFQC]

K. L. SHARMA, Jt. Secy.

397 GI/2016